



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 05 अप्रैल, 2024

थाना शिकारपुर

3.250 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत करीब 50 हजार रुपये) सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 04/05-04-2024 की रात्रि में थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर एक अभियुक्त को मौहल्ला नैजा आरा मशीन के सामने से 3.250 किग्रा गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना शिकारपुर पर मुअसं- 130/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- राजू पुत्र वसीर निवासी मौहल्ला नैजा कस्बा व थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 3.250 किग्रा गांजा (कीमत करीब 50 हजार रुपये)

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा जनपद बुलन्दशहर व आस-पास के क्षेत्रों में गांजा बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त राजू का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं- 136/18 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं- 149/19 धारा 60 आबकारी अधि० थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं- 225/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं- 333/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 5- मुअसं- 373/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 6- मुअसं- 01/20 धारा 60 आबकारी अधि० थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 7- मुअसं- 60/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 8- मुअसं- 366/23 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 9- मुअसं- 562/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 10- मुअसं- 130/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- श्री राजेश चतुर्वेदी प्रभारी निरीक्षक थाना शिकारपुर
- 2- उ०नि० शुभम चौधरी
- 3- का० प्रियांशु चौधरी, का० सुनिल चौहान।



मीडिया सेल बुलंदशहर